न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद

(राकेश कुमार आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :– 65/2019
दायर दिनांक :– 23/12/2019
निर्णय दिनांक :– 18/02/2020

अनवान

श्री वदनसिंह पिता जोधसिंह जी जाति राजपूत निवासी पीपावास तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

–अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये उपतहसीलदार गिलुण्ड, जिला राजसमन्द

– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय उपतहसीलदार गिलुण्ड प्रकरण संख्या 158/2019 ना. क. निर्णय दिनांक 02.09.2019 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 बअनवान पटवार हल्का पीपावास बनाम वदनसिंह से अंसतुष्ट होकर।

उपस्थित :–

1–श्री मुरलीधर दशोरा, अधिवक्ता अपीलान्ट
2–श्री कैलाश बोल्या, राजकीय अधिवक्ता

–:: निर्णय ::–

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । अपीलांट के विरूद्व राजस्व ग्राम पीपावास पटवार हल्का पीपावास तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द में स्थित आराजी संख्या 177 के रकबा 1–10 बीघा भूमि किस्म बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण कर लिये जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर अतिक्रमित को भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर विवादित भूमि से अतिक्रिमी को बेदखल करने एवं भूमि पर अतिक्रिमी मानते हुये लगान 1 रूपये का 50 गुणा शास्ति 50/–रूपये आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय दिनांक 02.09.2019 को पारित किया । अधीनस्थ न्यायालय के इस निर्णय से असंतुष्ठ होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है। प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है। धारा 5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी पूर्व में नहीं थी। जानकारी होते ही अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त अवधि को कन्डोन फरमाया जाकर अपील की अवधि में शुमार किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी तथा शामिल मिसल की गई।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की मियाद के बिन्दू पर बहस सुनी। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कण्डोन किया जाकर अपील को अवधि में शुमार किया जाता है ।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट द्वारा राजस्व ग्राम पीपावास पटवार हल्का पीपावास तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द में स्थित आराजी संख्या 177 के रकबा 1–10 बीघा भूमि किस्म बिलानाम भूमि पर कब्जा काश्त करने के कारण अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार गिलुण्ड द्वारा अपीलाण्ट को जरिये नोटिस राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा की 91 के अधीन भेजकर तलब किया गया व दिनांक 20/08/2019 की दिनांक का नोटिस अपीलाण्ट को भेजा गया व बमुकाम उपतहसील गिलुण्ड में उसे दिनांक 02.09.2019 उपस्थित रहने बाबत् सूचना पत्र जारी किया गया। माफिक आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने नोटिस पर अपीलाण्ट बमुकाम उपतहसील गिलुण्ड में उपस्थित हुआ व अपीलाण्ट द्वारा अपनी जवाबदेही पेश करने व अधिवक्ता मुकर्रर करने बाबत् निवेदन किया तो अपीलाण्ट के पत्रावली पर हस्ताक्षर करवाकर वापस भेज दिया व मनमाफिक तरिके से पत्रावली में अपीलाण्ट को समूचित जवाबदेही का अवसर दिये बगैर उक्त दिनांक को ही विधि विरूद्ध निर्णय पारित कर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी विधि एवं तथ्य की भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20/08/2019 का एक सूचना पत्र अपीलाण्ट को भिजवाया तथा उक्त नोटिस में अपीलान्ट को आदेशित किया गया था कि 02.09.2019 को अधीनस्थ न्यायालय रेलमगरा में उपस्थित होवें। अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में अपना अधिवक्ता नियुक्त करने एवं सूचना पत्र का जवाब देने का समुचित अवसर ना देते हुए पत्रावली पर उसको हस्ताक्षर लगाने एवं आगामी पेशी पर अधिवक्ता नियुक्त कर देना। आगामी पेशी की मांग की गई तो कहां की बाद में ले लेना। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने मनमाफिक तरीके से अपीलाण्ट को अपना बचाव पक्ष रखने का मौका दिए बगैर उक्त पत्रावली में विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया हैं, जो निरस्त होने योग्य हैं। अपीलाण्ट एक भूमिहीन काश्तकार व्यक्ति हैं। तथा वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलाण्ट का 25 वर्षो से अधिक कब्जा काश्त हैं। जिसको नजरअंदाज करते हुए उसे उक्त भूमि से बेदखल करने का निर्णय विधि विरूद्ध पारित किया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के निस्तारण के पूर्व पटवार हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक के बयान भी पत्रावली पर लेखबद्ध नहीं किये एवं बिना किसी विधिक आधार के विधि विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया जो निरस्त होने योग्य हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.09.2019 को अपास्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता का तर्क है कि राजस्व ग्राम पीपावास पटवार हल्का पीपावास तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द में स्थित आराजी संख्या 177 के रकबा 1–10 बीघा भूमि किस्म बिलानाम भूमि पर नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण किया गया । अपीलाण्ट द्वारा बिलानाम राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय व कार्यवाही की गई हैं, वह उचित प्रतीत होती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी सारी कार्यवाही विधिसम्मत है । और अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जावें । अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । बहस पर मनन किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजस्व ग्राम पीपावास पटवार हल्का पीपावास तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द में स्थित आराजी संख्या 177 के रकबा 1–10 बीघा भूमि किस्म बिलानाम भूमि पर अतिक्रमी नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण किया गया है। तथा उक्त कार्यवाही उपतहसीलदार,गिलुण्ड द्वारा पटवारी हल्का एवं भू– अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर की गई हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरूद्व की गई बेदखली की कार्यवाही व शास्ति 50/–रूपये आरोपित करने के आदेश से मैं सन्तुष्ट हूॅ । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में मैं किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता हूॅ। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जाता हैं । अपील अपीलाण्ट खारीज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द